बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 185040 / पटना, दिनांक 09/05/2014

सं0सं0-ग्रा0वि0-6/अभि0-01-28/2013

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषयः- **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2012-13 में सहायक अनुदान मद में दी गयी राशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

प्रसंगः- विभागीय पत्रांक- 182640 दिनांक- 07.04.14, पत्रांक- 182938 दिनांक- 10.04.14 एवं पत्रांक- 184304 दिनांक- 30.04.2014

महाशय,

निदेशानुसार वित्तीय वर्ष- 2012-13 की अवधि में सार ए0सी0 विपत्रों पर निकासी की गयी राशि का डी0सी0 विपत्रों एवं उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित विहित प्रपत्र जो प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे है या हुए है उसमें निम्न त्रुटियाँ पायी जा रही है :-

1. उपयोगिता प्रमाणपत्र के गारन्टी एजेन्सी के स्थान पर हस्ताक्षर एवं मुहर नहीं रहता है ।
2. उपयोगिता प्रमाणपत्र के स्वीकृति प्राधिकार के हस्ताक्षर के स्थान पर विभागीय स्वीकृति पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित किया जायगा । परन्तु इस पर अन्य पदाधिकारी के हस्ताक्षर पहले से पाए जाते है ।
3. प्रमाणपत्र के साथ स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की जाती है ।
4. उपयोगिता प्रमाणपत्र (दो प्रतियो में), अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं साक्ष्य सहित मूल रूप में नहीं भेजा जाता है ।
5. प्रमाणपत्र विहित प्रपत्र 42-ए से भिन्न रूप में भेजा जाता है, तथा अंकित शीर्ष अधुरे रहते है ।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिकाओं का अनुपालन करते हुए उपयोगिता प्रमाण को विशेष दूत के माध्यम से अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय । जिन डी0आर0डी0ए0 के द्वारा उपरोक्त उपयोगिता प्रमाणपत्र पहले भेजा गया है, अनुरोध है कि वहाँ इसकी समीक्षा करके प्रतिकूल पाए जाने पर पुनः उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने की कृपा करेगे।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

09/05/14
(मनोज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी